न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 33/2022 (2022/181)

1. रामकन्या देवी पत्नि पुरूषोत्तम उर्फ अशोक
2. गीता देवी पत्नि महावीर
   समस्त जातिगण धोबी निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

---प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. कालूराम पुत्र चतुर्भुज जाति जाट
2. कमला पुत्री चतुर्भुज जाति जाट
3. हगामी पत्नि चतुर्भुज जाति जाट
4. हेमराज पुत्र चतुर्भुज जाति जाट
5. लादूराम पुत्र रामकरण जाति जाट
6. बद्रीलाल पुत्र शिवनारायण जाति जाट
7. अमरी पत्नि मांगीलाल जाति जाट
8. ममता पुत्री मांगीलाल जाति जाट
   समस्त जातिगण जाट, निवासीगण सरसडी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

--अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री चेतन धाबाई – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री मीठूसिंह – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 7 व 8
3. पैराकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी – अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट
आदेश

दिनांक 16.06.2023

पत्रावली पेश की गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थनापत्र में आराजीयात वाके ग्राम केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
87–77	343	0.14	चाही 1
	344	0.05	गै.मु.चाह
	346	0.26	चाही 1
	347	0.48	चाही 1
	कुल किता 4	**कुल रकबा 0.93 हैक्टर**	

प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र अनुसार प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजीयात के खातेदार काश्तकार है तथा आराजीयात प्रार्थीगण के कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य में चली आ रही है जिस पर किसी दीगर व्यक्ति का किसी प्रकार का हक व हिस्सा तथा अधिकार नही है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजीयात के पडौसी है एवं जबरन खेत की मेड को तोड देते है, सीमा चिन्हो को नष्ट भ्रष्ट कर देते है तथा आये दिन सीमा विवाद करते है जिससे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 में सीमा विवाद के कारण लडाई झगडे का अंदेशा सदैव बना रहता है। दिनांक 07.04.2022 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की आराजी में सीमाचिन्हों को नष्ट कर दिया तथा अन्दर तक जबरन कब्जा कर लिया, प्रार्थीगण ने मना किया तो लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये जिससे यह प्रार्थनापत्र पेश करना लाजमी आया है ताकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य सीमा विवाद को लेकर कोई लडाई झगडा नही हो। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्णित उक्त आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने बाबत अनापत्ति जाहिर की तथा आदेशिका में नोट अंकित किया। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया जिसके अनुसार प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या 1 से 5 तथा 7 को गलत/मनगढंत होने से अस्वीकार किया गया तथा पेरा संख्या 6 विधिक होना जाहिर किया एवं साथ ही निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण की पडोस में जो खातेदारी की आराजी स्थित है उस पर तारबन्दी 10 वर्ष पूर्व ही नाप चौप कर हो रखी है। अप्रार्थीगण ने किसी सीमाचिन्ह को नष्ट नही किया है। प्रार्थीगण ने बिना सीमाज्ञान कराये ही सीमा विवाद गलत उल्लेखित तथ्यों पर किया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य कोई सीमा विवाद नही है। अप्रार्थीगण को हेरान परेशान करने के उद्देश्य से प्रार्थनापत्र पेश किया है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजी खरीदशुदा है जो क्रय से पूर्व ही विक्रेता से नापचौप करवाकर क्रय की है, उस समय भी सीमा विवाद नही था और न ही उसके बाद कभी विवाद हुआ। अतः जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है। अन्य अप्रार्थीगण बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार को सुना जाकर पत्रावली में पक्षकाराना की बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थनापात्र में वर्णित तथ्यों को उजागर करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी में दर्ज है एवं प्रार्थीगण को स्वयं की खातेदारी की आराजीयात की पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण की आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने से पडौसी खातेदारान के साथ उत्पन्न हो रहा सीमा विवाद समाप्त हो जायेगा। अतः प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब प्रार्थनापत्र के तथ्यों का वर्णन किया तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र गलत, मनगढंत तथ्यों के आधार पर पेश करना जाहिर कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य कभी कोई सीमा विवाद उत्पन्न नही हुआ है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस अवगत कराया गया है कि प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात खातेदारी में दर्ज होने से प्रकरण में किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के खातेदार काश्तकार है एवं खातेदार काश्तकार को स्वयं की आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम/कस्बा तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया–पुराना 87–77 में दर्ज खसरा नम्बर 343, 344, 346, 347 किता 4 कुल रकबा 0.93 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी केकडी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner